महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous Organization under Ministry of Education, Govt. of India)

17-3/2026(प्र/वि)/मसारावेविप्र/2059 दिनांक 07-07-2026

अधिसूचना

विषय : सस्वर वेद के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिष्ठान द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत अनुदानित एवं संबद्ध वेद विद्यालयों/गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों में वेद अध्यापकों के रिक्त स्थान पर चयन हेतु संपरीक्षण।

1. प्रतिष्ठान द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत अनुदानित एवं संबद्ध वेद विद्यालयों में चारों वेदों की किसी भी शाखा में वेद अध्यापक के मानदेय आधारित सेवा छोड़ देने पर उनके रिक्त स्थान पर नवीन वेद अध्यापक को मानदेय आधारित व्यवस्था में लेने के लिए तथा ऐसी गुरु शिष्य परंपरा इकाई से वेद अध्यापक के इकाई छोड़ देने पर हुए रिक्त स्थान के लिए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान परिसर में दिनांक 17/07/2026 को संपरीक्षण आयोजित किये जाते हैं।

क्रम संख्या	वेद	शाखा
1	ऋग्वेद	• शाकल शाखा
2	यजुर्वेद	• शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा • शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखा • कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा
3	सामवेद	• सामवेद राणायनीय शाखा • सामवेद जैमीनीय शाखा • सामवेद कौथुम शाखा
4	अथर्ववेद	• अथर्ववेद शौनक शाखा • अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा

2. संपरीक्षण के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को वेद पाठशालाओं के प्रबंधन अथवा गुरु शिष्य परंपरा इकाई में सहमति से उनके यहां हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कर चयनित अध्यापकों को मानदेय आधारित अध्यापन व्यवस्था में लिया जा सकेगा। यह शासकीय सेवा/उद्योग नहीं, केवल वेद अध्यापना व्यवस्था है ।
3. वेद पाठशाला हेतु चयनित अध्यापकों को संस्था प्रबंधन की सहमति से तात्कालिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी । यह किसी पद को स्वीकृति या पद पर नियुक्ति अथवा पद आश्रित स्वीकृति नहीं होगी केवल पढ़ाने हेतु व्यवस्था मात्र होगी जिसे किसी भी कारण बताए बिना निरस्त भी किया जा सकता है ।
4. यदि चयनित अभ्यर्थी की वेद पाठशालाओं द्वारा अध्यापन व्यवस्था नहीं ली जाती है तो वह चयन स्वत: निरस्त माना जाएगा । इकाई हेतु चयनित अभ्यर्थी को जिस स्थान की इकाई हेतु चयनित किया जाएगा उसे चयन से 10 दिवसों के भीतर उस इकाई में जाकर संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करना अनिवार्य रहेगा । ऐसा नहीं किए जाने पर चयन स्वत: निरस्त माना जाएगा तथा कोई भी मानदेय जारी नहीं होगा ।
5. किसी विवाद आदि से दूर रहकर निरंतर उक्त स्थान पर निश्चित संख्या में छात्रों को अपने सस्वर वेद का अध्यापन करते रहने पर अनुदान जारी होगा तथा वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परंपरा इकाई योजना की समय-समय पर परिवर्तित शर्तें लागू होगी ।
6. वेद पाठशाला के अध्यापक पाठशाला के ही एम्पलॉयी/उद्योगी रहेंगे । किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान या भारत सरकार के उद्योगी नहीं होंगे या पद पर (स्थायी/अस्थायी) नियुक्ति नहीं मानी जाएगी एवं किसी भी स्थान पर चयनित होने पर स्थान परिवर्तन/स्थानांतरण मान्य नहीं होगा ।

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266

E-mail : msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in

7. प्रत्येक शाखा में चयनित अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या 10 होगी तथा देश भर की किसी भी संबद्ध अनुदानित वेद पाठशाला अथवा इकाई के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भेजा जा सकता है, यह चयन दिनांक 31-03-2027 तक ही मान्य है, इसके पश्चात चयन स्वत: समाप्त मानी जाएगी ।

न्यूनतम आयु	– 21 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	– संहिता सस्वर कण्ठस्थ, वेद का सांगोपांग अध्ययन, प्रकृतिपाठ, जहां संभव है अष्टविकृति, वेद विभूषण प्रमाणपत्र प्राप्त जिन्हें संपूर्ण शाखा कण्ठस्थ है उन्हें वरीयता ।
अनुभव	– वेदाध्यापन में 02 वर्ष का अनुभव होने पर वरीयता।
प्रतिष्ठान नियमानुसार मानदेय	– 27,500/- प्रतिमाह (वेद पाठशालाओं में) – 25,000/- प्रतिमाह (गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों में)

उपर्युक्त शर्तों के साथ सम्परीक्षण में भाग लेने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड की मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 17-07-2026 को समय प्रातः 10:00 बजे, स्थान - महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन (मध्यप्रदेश) पिन- 456006 पर उपस्थित रहें । संपरीक्षण में उपस्थिति होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं रहेगा ।

यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा चयन हेतु दूरभाष, पत्र या अन्य किसी भी माध्यम से अनुशंसा करवाई जाती है, तो उसे भविष्य तथा वर्तमान में आयोजित होने वाले संपरीक्षण के लिए अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

7/7/2026

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्)
सचिव

प्रतिलिपि:

1. प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर प्रकाशित।
2. कार्यालय आदेश पत्रावली